न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला–जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः– भवानी सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 10 / 2020

प्रार्थीगण		**बनाम**		**अप्रार्थीगण**
01	गोविन्दराम पुत्र नरसिंहराम		1.	गोपाराम पुत्र पालूराम
02	मुन्नाराम पुत्र नरसिंहराम		2.	पन्नाराम पुत्र पालूराम
03	सुमेर पुत्र नरसिंहराम		3.	बाबूलाल पुत्र पालूराम
04	श्यामलाल पुत्र नरसिंहराम		4.	भींकाराम पुत्र पालूराम
05	रतनाराम पुत्र मंगलाराम			जातियान भाट निवासीगण
	जातियान सरगरा निवासीगण			होलपुर कलां तहसील बिलाड़ा
	होलपुर तहसील बिलाड़ा		5	राजस्थान सरकार जरिये
06	सुगना देवी पत्नी नरसिंहराम			तहसीलदार बिलाड़ा
07	लुणीदेवी पत्नी दलाराम			
	जाति–मेघवाल निवासीगण			
	होलपुर तहसील बिलाड़ा			

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

उपस्थित :– प्रार्थीगण की ओर से – श्री लक्ष्मणराम राठौड़ एडवोकेट

अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से श्री पारस चौहान एडवोकेट

अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 4 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही

अप्रार्थी संख्या 5 सरकारी पैरोकार

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा सत्यमेव जयते

निर्णय **दिनांक** 10/12/2021

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम होलपुर कलां तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 274 रकबा 5.2342 हैक्टेयर आई हुई है। यह भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी की है। प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 274 रकबा 5.2342 हैक्टेयर के पश्चिमी दिशा की ओर खसरा नम्बर 271 रकबा 5.5821 हैक्टेयर स्थित है जो अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की खातेदारी की भूमि है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की खातेदारी भूमि के उत्तरी

सहायक कलक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

दिशा की ओर खसरा नम्बर 269 रकबा 1.8931 हैक्टेयर स्थित है, जो प्रार्थीगण संख्या 01 से 04 के चाचा सुखाराम पुत्र मुलाराम की खातेदारी की भूमि है। प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 274 आयी हुयी है, जिसमें प्रार्थीगण खेत की बुवाई व काश्त कार्य आदि करता है। प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में खेत की बुवाई व काश्त कार्य आदि करने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 271 रकबा 1.6180 हैक्टैयर में स्थित मार्क अ ब स द स्थित आम रास्ता से तथा खसरा नम्बर 269 के पूर्वी माठ स्थित आम रास्ता से होकर आते जाते है तथा इसी अ ब स द के रास्ते से प्रार्थीगण अपना ट्रेक्टर, मोटर साईकिल, छकड़ा आदि के साधन लेकर जाता है। प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 274 में कृषि कार्य आदि करने हेतु का यही एकमात्र वैकल्पिक रास्ता है, जिसका नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थीगण भूमि खसरा नम्बर 271 के मार्क अ ब स द तथा खसरा नम्बर 269 के पूर्वी माठ के आम रास्ते को उपयोग व उपभोग में लेता आ रहा है। प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 274 में जाने हेतु भूमि खसरा नम्बर 271, 269 के अ ब स द भाग से ही भूमि खसरा नम्बर 274 में जाने हेतु प्रार्थीगण अपने ट्रेक्टर, मवेशी, छकड़ा इत्यादि लेकर जाते है। इस प्रकार प्रार्थीगण भूमि खसरा नम्बर 271, 269 के अ ब स द भाग के आम रास्ते का उपयोग कई वर्षो से उपयोग व उपभोग में लेता आ रहा है, इस कारण प्रार्थीगण को भूमि खसरा नम्बर 271, 269 के अ ब स द भाग के रास्ते को राजकीय रास्ता घोषित करवाने का अधिकारी है। भूमि खसरा नम्बर 271, 269 के अ ब स द भाग की भूमि पर चल रहे आम रास्ते को अप्रार्थी संख्या–1 से 4 बन्द करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को आम रास्ते की भूमि पर अवरोध पैदा करने से नही रोका गया तो प्रार्थीगण को अपने खेत की बुवाई व काश्त कार्य से वंचित करने से भारी समस्या पैदा हो जायेगी, जिससे प्रार्थीगण एवं उनके परिवार के सदस्यों का जीवन निर्वाह करना मुश्किल हो जायेगा, जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णनीय हानि होगी, जिसकी पूर्ति किया जाना संभव नही होगा। प्रार्थीगण का यह अ ब स द मार्क

सहायक कलक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

का रास्ता आत्यंतिक आवश्यकता का मार्ग है। इस कारण प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण के विरूद्ध खसरा नम्बर 271, 269 में स्थित अ ब स द मार्क के रास्ते को राजस्व रेकर्ड में राजकीय रास्ता दर्ज कराने हेतु व नक्शा ट्रेस में रास्ते को तरमीम करवाने हेतु का यह प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ रहा है। प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की भूमि खसरा नम्बर 271 रकबा 1.6180 हैक्टैयर में स्थित अ ब स द मार्क तथा प्रार्थी संख्या–1 से 4 के चाचा सुखाराम पुत्र मुलाराम की खसरा नम्बर 269 1.8931 हैक्टैयर में 20 फुट रास्ते की नियमानुसार मुआवजा फीस देने को तैयार है। अन्त में निवेदन किया कि ग्राम होलपुर तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 271, 269 की भूमि में से कृषि कार्य करने हेतु का रास्ता दिलाया जावे एवं राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से तरमीम करने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये अप्रार्थी संख्या–1, 2, 4 के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए उनकी तरफ से कोई उपस्थित नहीं होने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या–3 की ओर से श्री पारस चौहान एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया तथा साथ में अप्रार्थी संख्या–3 की ओर से जवाब पेश किया जो जवाब के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम होलपुर कलां तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 271 रकबा 1.6180 हैक्टैयर के पूर्वी तरफ का मार्क अ ब स द की भूमि का राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज किया जाता है तो कोई आपति नहीं है, अंत में जवाब पेश कर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।

मौजूदा मामला धारा 251 ए राजस्थान टीनेंसी एक्ट के अन्तर्गत होने से अप्रार्थी संख्या–5 तहसीलदार बिलाड़ा से मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया। जिस पर तहसीलदार बिलाड़ा ने विवादित भूमि की मौका रिपोर्ट इस न्यायालय को पेश की गयी, जो मौका फर्द रिपोर्ट इस आधार की पेश की गयी कि प्रार्थी के खसरा नम्बर 274 रकबा 5.2342 हैक्टैयर के

सहायक कलक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। मौका व रेकर्ड के अवलोकन से सबसे न्युनतम दूरी का रास्ता खसरा नम्बर 271, 269 में से भूमि का विवरण निम्न प्रपत्र में प्रस्तावित है :–

क्रस	खातेदार का नाम व पता	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर	रास्ते का रकबा हैक्टेयर	प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	डी.एल. सी. दर	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत
1.	गोपाराम पुत्र पालूराम जाति भाट सा. देह	271	1.6180 हैक्टेयर	0.1028	0.0257 हैक्टेयर (1/4 हिस्सा)	12,150	3,860/–
2	भीकाराम पुत्र पालूराम जाति भाट सा. देह	271	1.6180 हैक्टेयर	0.1028	0.0257 हैक्टेयर (1/4 हिस्सा)	12,150	3,860/–
3	पन्नाराम पुत्र पालूराम जाति भाट सा. देह	271	1.6180 हैक्टेयर	0.1028	0.0257 हैक्टेयर (1/4 हिस्सा)	12,150	3,860/–
4	बाबूलाल पुत्र पालूराम जाति भाट सा. देह	271	1.6180 हैक्टेयर	0.1028	0.0257 हैक्टेयर (1/4 हिस्सा)	12,150	3,860/–
5	सुखाराम पुत्र मुलाराम जाति सरगरा सा. देह	269	1.8931 हैक्टेयर	0.0170	0.0170	12,150	2,553/–

उपरोक्त प्रपत्र में दर्शाये अनुसार अप्रार्थी संख्या–1 से 4 के खेत खसरा नम्बर 271 रकबा 1.6180 हैक्टैयर में से 0.1028 हैक्टेयर तथा प्रार्थीगण के चाचा के खेत खसरा नम्बर 269 रकबा 1.8931 हैक्टेयर में से 0.0170 हैक्टेयर भूमि कटाणी रास्ता हेतु दिया जाना प्रस्तावित है, जिसे नक्शा नकल में लाल स्याही से दर्शाया जाकर संलग्न किया जा रहा है। जिसे फर्द मौका का अभिन्न अंग समझा जावेगा। प्रार्थी के खसरा नम्बर 274 के कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नही लगता है। फर्द मौके पर ही तैयार की गयी।

न्यायालय के पत्र क्रमांक 371 दिनांक 16.07.2020 के द्वारा तहसीलदार बिलाड़ा से उक्त अनवान के मामलें में मौका कमीशनर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया जिसकी पालना में तहसीलदार बिलाड़ा ने पत्र क्रमांक 1837 दिनांक 08.10.2021 को रिपोर्ट पेश की। जो इस प्रकार है कि प्रार्थी के खेत खसरा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

नम्बर 274 में आने जाने का वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता सबसे नजदीकी रास्ता नही है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ते की भूमि पर कोई कच्चा, पक्का निर्माण किया हुआ नही है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. की दर 17,993/—रूपये बनती है, जो मौका कमीश्नर की रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस सुनी और योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि प्रार्थी को अपने खेत में कृषि कार्य करने हेतु रास्ता दिलवाया जावे। मौका कमीश्नर रिपोर्ट दिनांक 07.08.2020 के साथ संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाया गया रास्ता प्रार्थी को दिलवाया जावें ताकि प्रार्थी अपने खेत मे पंहुचकर खेती कर सके। प्रार्थी उक्त रास्ते की डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि अप्रार्थीगण को जरिये चैक अदा करने को तैयार है। अप्रार्थी संख्या—4 के योग्य अधिवक्ता श्री पारस चौहान ने प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया ओर अपनी भूमि में से रास्ता दिया जाने का नो ऑब्जेक्शन जाहिर किया। अप्रार्थी संख्या—5 सरकारी पैरोकार ने मौका फर्द रिपोर्ट के आधार पर बहस की गयी और मौका फर्द रिपोर्ट के अनुसार आदेश फरमाया जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या—3 के योग्य अधिवक्ता व सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम होलपुर कलां तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 274 रकबा 5.2342 हैक्टेयर में प्रार्थी को काश्त कार्य करने हेतु खसरा नम्बर 271 रकबा 1.6180 हैक्टेयर के अ ब स द तथा प्रार्थीगण के चाचा सुखाराम पुत्र मुलाराम भूमि खसरा नम्बर 269 रकबा 1.8931 हैक्टेयर के पूर्वी भाग से होकर रास्ता चलता है। लेकिन प्रार्थीगण ने भूमि खसरा नम्बर खसरा नम्बर 269 रकबा 1.8931 हैक्टेयर के खातेदार सुखाराम पुत्र मुलाराम जाति सरगरा को पक्षकार नहीं बनाया है इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। धारा 251 के राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत चाहे गये वांछित रास्ता के सभी रेकर्डेड खातेदारान को पक्षकार बनाया जाना अनिवार्य है क्योकि धारा 251 के राजस्थान टीनेंसी एक्ट के अन्तर्गत रास्ते का रकबा का राजस्व रेकर्ड में लाल स्याही से तरमीम किया जायेगा एवं गैर मुमकिन रास्ता जमाबंदी मे दर्ज किया जायेगा

सहायक कलक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

मौजूदा मामले में प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 274 के उत्तरी दिशा की ओर खसरा नम्बर 271 तथा उसके आगे उत्तरी दिशा की ओर खसरा नम्बर 269 की भूमि स्थित है। खसरा नम्बर 269 में से रास्ते का रकबा समाविष्ट होगा। जब तक भूमि खसरा नम्बर 269 के खातेदारान को सुनवायी का अवसर प्रदान नही किया जाता तब तक प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। तथा न ही प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 271 में दर्ज खातेदार यूको बैंक शाखा भावी को पक्षकार नहीं बनाया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 10/12/2021 को मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा